रजि. सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 20, 1993/आषाढ़ 29, 1915
No. 424] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20, 1993/ASADHA 29, 1915

DTE. OF P. O. & S. 4504 LIBRARY P.A.I. 110001

IndiaCode

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1993

का.आ. 528(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301, तारीख 1 मार्च, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. उक्त अधिसूचना में खण्ड (14) से 21) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(14) सलाहकार (रसायन), रसायन और उर्वरक, रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय, नई दिल्ली;

(15) आचार्य और विभागाध्यक्ष, भेषजगुण विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय महाविद्यालय और गुरु तेगबहादुर अस्पताल, शाहदरा दिल्ली;

(16) आचार्य और अध्यक्ष, न्याय आयुर्विज्ञान और विष विज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली;

(17) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, लोक स्वास्थ्य प्रभारी, हरियाणा चण्डीगढ़;

(18) कृषि निदेशक, मध्य प्रदेश और कृषि निदेशक आन्ध्र प्रदेश;

(19)(क) निदेशक, केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली;

(ख) कृषि आयुक्त, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली;

(ग) निदेशक, राष्ट्रीय व्यवसायी स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद;

(20) वैज्ञानिक, भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, उप्पल रोड, हैदराबाद;

(21) अपर निदेशक (तकनीकी), भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय।

2. इस अधिसूचना द्वारा नियुक्त सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

[फा. सं. 19-4/91-पी पी आई]
आई. एस. माल्ही, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. सं. 301, तारीख 1 मार्च, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :

(i) सा.का.नि. 1216, तारीख 21 अगस्त, 1971

(ii) सा.का.नि. 478(अ) तारीख 10 अगस्त, 1976 और

(iii) का.आ. 848 (अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1989।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 1993

S.O. 528(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture and Community Development and Cooperation No. G.S.R. 301, dated the 1st March, 1971 as follows :—

1. In the said notification, for clauses (XIV) to (XXI) and Entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :

"(XIV) Adviser (Chemicals), Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petro-chemicals, New Delhi ;

(XV) Professor and Head of Department of Pharmacology, University College of Medical Science and Guru Teg Bahadur Hospital, Shahdra, Delhi ;

(XVI) Professor and Head, Forensic Medicine and Toxicology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi ;

(XVII) Director of Health Services, Incharge Public Health, Haryana, Chandigarh ;

(XVIII) Director of Agriculture, Madhya Pradesh and Director of Agriculture, Andhra Pradesh ;

(XIX) (a) Director, Central Forensic Science Laboratory, Ministry of Home Affairs, New Delhi ;

(b) Agriculture Commissioner, Government of India, Ministry of Agriculture, New Delhi ;

(c) Director, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad;

(XX) Scientist, Indian Institute of Chemicals Technology, Uppal Road, Hyderabad ;

(XXI) Additional Direrton (Technical), Government of India, Ministry of Environment and Forests."

2. The members appointed through this notification shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 19-4|91-PPI]
I. S. MALHI, Jt. Secy.

FOOT NOTE :—The principal notification was published vide No. G.S.R. 301, dated the 1st March, 1971 and subsequently amended vide No.

(i) G.S.R. 1216, dated the 21st August, 1971.

(ii) G.S.R. 478(E), dated the 10th August, 1979 and

(iii) S.O. 848(E), dated the 25th October, 1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 199

IndiaCode